निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
92/2017	20.12.2017	18.1.2019

सरकार जरिए तहसीलदार वजीरपुर

—वादी

बनाम

1. मंसूर अहमद पुत्र जहांदार खां, मुसलमान निवासी वजीरपुर तह0 वजीरपुर
2. मसकुर अहमद पुत्र मकसूद अहमद,मुसलमान नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
3. महफूज अहमद पुत्र मकसूद अहमद,मुसलमान नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 175 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :—लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर

श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम वजीरपुर के ख0नं0 3781 रकबा 0.46 है0 के खातेदार अप्रार्थीगण हैं। उपर्युक्त वर्णित खातेदारों द्वारा ख0नं0 3781 रकबा 0.46 है0 में 255 X 39 वर्गफीट भूमि में बिना रूपान्तरण कराए व सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना दासाबंदी कर पुख्ता दुकान निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर लिया है। अतः उपरोक्त भूमि को आर0 टी0एक्ट 1955 की धारा 175 सपठित धारा 177(क) के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 3781 रकबा 0.46 है0 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण ने 20 एयर भूमि में दुकानों का निर्माण एवं दासाबन्दी कर रखी है, शेष भूमि खाली पडी है जिसमें वे कृषि कार्य कर रहे हैं। उक्त भूमि में से 20 एयर भूमि को कृषि से अकृषि व्यावसायिक भूमि में रूपान्तरण हेतु पत्रावली श्रीमान एस0डी0 ओ0 वजीरपुर के कार्यालय में जमा करा दी है उस पर जो भी रूपान्तरण शुल्क एवं पैनेल्टी होगी वह प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार हैं। अतः कार्यवाही ड्रोप करने की कृपा करें।

दावा के समर्थन में वादी ने स्वयं के न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.17 की प्रति, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075, नकल नक्शा ट्रेस, पटवारी हलका वजीरपुर बी की रिपोर्ट दिनांक 16.11.16 की प्रति, प्रतिवादीगण को दिए गए नोटिस दिनांक 17.11.16 की प्रति, अदील अहमद द्वारा प्रस्तुत जबाब की प्रति, पटवारी हलका वजीरपुर बी की रिपोर्ट दिनांक 2.2.17, 21.2.17, 3.3.17 की प्रति प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गईः—

1. आया भूमि ख0 न0 3781 रकबा 46 एयर ग्राम वजीरपुर प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमे प्रतिवादीगण ने 255x39 फिट में वगैर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के दुकानो का निर्माण कर भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी है।

——वादी

2. आया प्रतिवादीगण का यह कार्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 सहपठित धारा 177 (क) के विरूद्ध है तथा यह भूमि सिवायचक किये जाने योग्य है।

——वादी

3. आया प्रतिवादीगण ने उपरोक्त 20 एयर भूमि को व्यावसायिक भूमि में परिवर्तित किये जाने हेतु रूपान्तरण पत्रावली प्रस्तुत कर दी है। इसलिए इस मामले में कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। ——प्रतिवादीगण

4. अनुतोष

उपरोक्त उनवानी दावे में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 2.1.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि तहसीलदार वजीरपुर द्वारा प्रार्थी के खिलाफ धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत दावा गलत पेश किया है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के व्यावसायिक उपभोग के लिए तहसीलदार वजीरपुर के समक्ष भूपरिवर्तन की पत्रावली पेश कर रखी है जो विचाराधीन है। भूमि परिवर्तन की कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत दावा गलत पेश किया है। दो समानान्तर कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती है। ऐसी स्थिति में किस्म परिवर्तन की पत्रावली को निरस्त किए बिना तहसीलदार वजीरपुर ने जो 175 आर0टी0एक्ट के तहत दावा पेश किया है वह खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन है कि दावा 175 आर0टी0एक्ट मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस विद्वान वकील प्रतिवादीगण सुनी गई।

प्रतिवादीगण के वकील ने अपने प्रार्थनापत्र के अनुरूप बहस करते हुए दावा प्राथमिक स्तर पर ही खारिज करने का निवेदन किया है। बहस के दौरान प्रतिवादीगण के वकील ने प्रतिवादीगण द्वारा ख0नं0 3781 में से 20 एयर रकबे को कृषि से अकृषि में परिवर्तन किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, उपजिलाकलेक्टर वजीरपुर के पत्रांक राजस्व/2018/12 दिनांक 9.1.18 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख ख0नं0 3781 में से 20 एयर रकबे को कृषि से अकृषि में परिवर्तन किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, उपजिलाकलेक्टर वजीरपुर के पत्रांक राजस्व/2018/12 दिनांक 9.1.18 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि को कृषि से अकृषि कार्य में परिवर्तन करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी उप जिलाकलेक्टर वजीरपुर के यहां प्रस्तुत किया हुआ है जहां से अभी इसका निस्तारण नहीं हुआ है एवं प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत भूमि रूपान्तरण प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 175 आर0टी0एक्ट की इस कार्यवाही को चलाना न्यायोचित नहीं है एवं इस प्रकरण में कार्यवाही वर्तमान स्तर पर ही ड्रोप किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर उपर्युक्त दावे में कार्यवाही वर्तमान स्टेज पर ड्रोप की जाती है। प्रतिवादीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी उप जिलाकलेक्टर वजीरपुर के यहां प्रस्तुत भूमि रूपान्तरण पत्रावली में निर्णयोपरान्त तहसीलदार वजीरपुर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वजीरपुर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी